(192)

न्यायालयः— माननीय राजस्व मण्डल महोदय,ग्वालियर

प्रकरण कमांक /17 पुर्नरीक्षण याचिका I/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा.सं./2017/2448

विपिन जैन पुत्र श्री तेजमल जैन,आयु—41 वर्ष,व्यवसाय—दुकानदारी ,निवासी—सदर बाजार, शिवपुरी,म0प्र0

———आवेदक

बनाम

श्रीमती कमला शर्मा पत्नी श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा,निवासी—झांसी रोड, शिवपुरी, म0प्र0

———अनावेदिका

पुर्नरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी,शिवपुरी, म0प्र0 के द्वारा पारित प्रकरण कमांक 18/2016—2017/अपील मे आदेश दिनांक 03—05—2017 से व्यथित होकर यह पुर्नरीक्षण याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

माननीय न्यायालय,

पुर्नरीक्षणकर्ता की ओर से पुर्नरीक्षणक याचिका सादर प्रस्तुत है :—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः—

1— यहकि, पुर्नरीक्षणकर्ता के स्वत्व,स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि सर्वे कमाक 2612/2 रकबा 0.060 हैक्टेयर सर्वे कमांक 2623/2 रकबा 0.210 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.270 हैक्टेयर का आधिपत्यधारी है,उक्त भूमि पुर्नरीक्षणकर्ता द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 25—03—13 को कय की गयी थी,जिस पर पुर्नरीक्षणकर्ता का नामान्तरण पंजी कमांक 247/29—08—13 के आदेश दिनांक 20—09—13 के द्वारा नामान्तरण स्वीकार किया गया ।

2— यहकि, अनावेदिका द्वारा भूमि सर्वे कमांक 1424 पुराना जिसका नवीन सर्वे कमांक 2623 एवं सर्वे कमांक 1643 जिसका नवीन सर्वे कमांक 2612 स्थित ग्राम सिंह निवास तहसील व जिला शिवपुरी में स्थित है,मे से 2500 वर्गफुट भूमि वर्ष 1993 में कय की गयी थी तथा कय करने उपरान्त अनावेदिका द्वारा उक्त सर्वे नम्बरान की भूमि में नामान्तरण पंजी कमांक 9/16—07—1993 के द्वारा नामान्तरण स्वीकार किया गया ।

3— यहकि,अनावेदिका द्वारा उक्त सर्वे नम्बरों पर नामान्तरण हो जाने के पश्चात एक

रा/नि/शिवपुरी/प्र.रा./2017/2448

11-8-17

निवेदक श्रीमती श्री अर्जुन सिंह द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि यह मिसल [illegible] गलत प्रस्तुत हो गई है सम्बन्धित न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किये जाने का अनुरोध किया गया। आवेदक अभि. का अनुरोध स्वीकार करते हुये मूल दस्तावेज वापिस किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(3)